-प्रेस नोट-

दिनांक 12.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया; कब्जे से आला-ए-कत्ल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

अवगत कराना है कि दिनांक 10.11.2026 को थाना सरसावा पर वादी संजय कुमार पुत्र रामलाल निवासी ग्राम चौरी मण्डी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई राजू पुत्र रामलाल निवासी ग्राम चौरी मंडी थाना चिलकाना सहारनपुर की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0स0 367/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा द्वारा ग्रहण की गयी।

पुलिस कार्यवाहीः-

दिनांक 10.11.2026 को मुकदमा उपरोक्त की विवेचना श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय द्वारा ग्रहण की गयी तथा विवेचनात्मक कार्यवाही बयान वादी व गवाहान ,साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्तगण 1. शुभम उर्फ बॉबी पुत्र गुरुदयाल निवासी ग्राम चौरी मंडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 2- रजत पुत्र गुरुदयाल निवासी ग्राम चौरी मंडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर के नाम प्रकाश मे आये, मुकदमा उपरोक्त मे धारा 238 बीएनएस की वृद्धि की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का अनावरण कर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा द्वारा आज दिनांक 12.11.2026 को मय पुलिस टीम के मुकदमा उपरोक्त में वांछित/प्रकाश मे आए **अभि0गण 1.शुभम उर्फ बॉबी पुत्र गुरुदयाल निवासी ग्राम चौरी मंडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 2-रजत पुत्र गुरुदयाल निवासी ग्राम चौरी मंडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को देहरादून अंबाला हाइवे पर स्थित सरसावा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त आला कत्ल व 01 मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पताः-

1.शुभम उर्फ बॉबी पुत्र गुरुदयाल निवासी ग्राम चौरी मंडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
2.रजत पुत्र गुरुदयाल निवासी ग्राम चौरी मंडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- लोहे का गुल्ला ट्रैक्टर ट्राली का (आला कत्ल)
- मृतक के कपडे
- मृतक का पर्स (जिसमे मृतक का डी0एल0)
- 01 मोटरसाइकिल (घटना मे प्रयुक्त)

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त शुभम उर्फ बॉबी पुत्र गुरुदयाल निवासी ग्राम चौरी मण्डी, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर ने बताया कि दिनांक 09.11.2026 को शाम के समय उसने राजू कश्यप को फोन कर अपने घेर के पीछे जंगल में मिलने के लिए बुलाया था। वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने पहले से अपने पास रखे ट्रैक्टर-ट्रॉली के गुल्ले से राजू के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उसने अपने भाई रजत को फोन कर मौके पर बुलाया। कुछ देर बाद रजत मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा। जब दोनों राजू के पास पहुंचे तो उसकी सांसें चल रही थीं। इस पर दोनों ने राजू को वहां से हटाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाने की योजना बनाई, ताकि घटना का खुलासा न हो सके। इसके बाद दोनों ने घायल राजू को मोटरसाइकिल पर बीच में बैठाया तथा हैदरपुर से भिक्कनपुर जाने वाले रास्ते पर बंधे के पास ले जाकर फेंक दिया। अभियुक्त ने आगे बताया कि घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली का गुल्ला, राजू का पर्स एवं अपने खून से सने कपड़े बिन्नाखेड़ी के पास तालाब किनारे झाड़ियों में छिपा दिए तथा राजू का मोबाइल फोन तोड़कर तालाब के गहरे पानी में फेंक दिया। इसके बाद दोनों अपने घर चले गए।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री मनेद्र सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 24 सुनील थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. का0 1996 मोहित तोमर थाना सरसावा सहारनपुर।
5. का0 2601 कपिल देव थाना सरसावा सहारनपुर।

दिनांक – 11.11.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1किलो ग्राम नशीला पदार्थ चरस नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों नशे के/ अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में – "ऑपरेशन सवेरा""नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संदीप बालियान के कुशल नेतृत्व में दि0 11.11.2026 को गस्त व चैकिग के दौरान थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चौकी गोपाली क्षेत्र मे संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चैकिग के दौरान **1. कफील पुत्र जियाउलहक उर्फ खानकाह निवासी ग्राम फुलास अकबरपुर, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** के कब्जे/ जामा तलाशी से 1 किलो ग्राम नशीला पदार्थ चरस नाजायज बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर **मु0अ0स0- 767/2026 धारा 8/20 NDPS ACT** में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है। अभियुक्त के समय से माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

कफील पुत्र जियाउलहक उर्फ खानकाह निवासी ग्राम फुलास अकबरपुर, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01किलो ग्राम नशीला पदार्थ चरस

आपराधिका इतिहास-

मु0अ0सं- 340/25 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 3/11 पशु क्रूरता अधि0 3/25/27 शस्त्र अधि0 109(1)/3(5) बीएनएस थाना देवबन्द सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक संदीप बालियान थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 आनन्द कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3.उ0नि0 बन्टी कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4.हमराह है0का0 773 सचिन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5.का0 2096 गौरव त्यागी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6.का0 2226 अमित कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 12.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा आनलाइन साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गई 4000/ रूपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस कराई गई

घटना का विवरण:-

दिनांक 22/09/2026 को वादी तिरसपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह निवासी चुन्हेटी शेख थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर अवगत कराया गया कि वादी के साथ आनलाइन 9680/- रूपये की ठगी बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधडी करके धनराशि ट्रांसफर करा लेने के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से शिकायत सं0 33109260256274 ऑनलाइन पंजीकृत कराई गई थी।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेड़ी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना गागलहेडी साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा उपरोक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित तिरसपाल सिंह उपरोक्त के खाते से फ्राड़ की गई **4000/- रूपये की धनराशि** पीडित के खाते मे वापस कराई गई। पीडित द्वारा खाते में धनराशि वापस पाकर थाना गागलेहडी साइबर हेल्पडेस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी प्रभारी साईबर सैल थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. म0है0का0 48 ममता तौमर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
4. म0है0का0 1054 दिव्या थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
5. का0 407 उत्तम सिंह थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
6. रि0का0 876 भूपेन्द्र सिंह थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
7. रि0का0 868 प्रियांशु गौतम थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
8. म0रि0का 903 बेबी रानी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12-11-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12/11/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा चेकिंग व गस्त के दौरान 01अभियुक्त **अंकुर पुत्र धनपाल निवासी ग्राम तबरकपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर** को बुढढाखेडा मोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 505/26 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकुर पुत्र धनपाल निवासी ग्राम तबरकपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 449 लोकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 969 गौरव शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा चेकिंग एवं दबिश के दौरान 05 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री इन्द्रेश चौहान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **05 वारंटी अभियुक्तगण 1.राजेश पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1252/20 मु0अ0सं0 196/09 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना बेहट स0पुर को ग्राम शेखपुरा से **2.अरविन्द पुत्र साधूराम निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बेहट स0पुर** सम्बन्धित वाद संख्या 127/20 मु0अ0सं0 179/13 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना बेहट स0पुर ग्राम शेखपुरा से **3.महेन्द्र पुत्र देशराज निवासी ग्राम मरवा थाना बेहट स0पुर** सम्बन्धित वाद संख्या 214/2017 मु0अ0सं0 19/2017 धारा 138 विधुत अधि0 चालानी थाना बेहट स0पुर को ग्राम मरवा से **4.मांगेराम पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम करौंदी थाना बेहट स0पुर** सम्बन्धित वाद संख्या 9669/24 मु0अ0स0 506/23 धारा 452/323/504/506 भादंवि चलानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर को ग्राम करौन्दी से **5.श्रीमती नुसरत पत्नी अलीम निवासी मो0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट स0पुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1461/25 धारा 406 भादवि चलानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर को कस्बा बेहट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. राजेश पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. अरविन्द पुत्र साधूराम निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बेहट स0पुर
3. महेन्द्र पुत्र देशराज निवासी ग्राम मरवा थाना बेहट स0पुर
4. मांगेराम पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम करौंदी थाना बेहट स0पुर
5. श्रीमती नुसरत पत्नी अलीम निवासी मो0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री ओमकार सिंह थाना बेहट सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बेहट सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना बेहट सहारनपुर
4. का0 71 ब्रजवीर राणा थाना बेहट सहारनपुर

5. म0का0 1333 रूबी थाना बेहट सहारनपुर
6. रि0का0 415 अरविन्द सिंह थाना बेहट सहारनपुर
7. रि0का0 490 गजेन्द्र यादव थाना बेहट सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा मारपीट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 10.11.2026 को वादिया श्रीमती सन्तलेश पत्नी अरविन्द निवासी ग्राम ढाकादेवी, थाना नानौता, जनपद सहारनपुर द्वारा एक प्रा0 पत्र बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादिया, उसकी पुत्री मेघा एवं उसके पति अरविन्द के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डण्डों एवं लोहे की रॉड से मारपीट कर चोट पहुँचाने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध थाना नानौता पर दाखिल किया जिसके संबंध में मु0अ0सं0 281/2026 धारा 115(2), 118(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विकास चारण थाना नानौता के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम ढाकादेवी, थाना नानौता, जनपद सहारनपुर को दिनांक 11.11.2026 की रात्रि में अभियुक्त के ग्राम ढाकादेवी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की राँड बरामद की गयी। अभियुक्त को विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सोनू पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम ढाकादेवी, थाना नानौता, जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्य श्री विकास चारण थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री निपेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक-12.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा धारा 170 बीएनएसएस के तहत 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री विरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.11.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गस्त व जांच प्रार्थना पत्र में मामुर होकर **प्रताप नगर मंडी समिति रोड** पर पहुँचे तो काफी भीड इकट्ठा थी पास जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि **एकपक्षीय निजाम पुत्र ईनाम निवासी 62 फुटा रोड मंसूर कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** सड़क पर आने जाने वाले लोगो के साथ आमदा फसाद हो रहा था। हम पुलिसवालों व स्थानीय लोगो द्वारा एकपक्षीय **निजाम** उपरोक्त को काफी समझाने का प्रयास किया गया परन्तु नहीं माना और अधिक उत्तेजित होकर लडाई झगडे व मारपीट पर उतारू हो गया। कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग होने का पूर्ण अन्देशा देख गिरफ्तारी के अलावा अन्य कोई चारा न होने के कारण पुलिस द्वारा **विपक्षी निजाम पुत्र ईनाम निवासी 62 फुटा रोड मंसूर कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** को कारण गिरफ्तारी बताते हुए। अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस के तहत हिरासत पुलिस किया गया। गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग/मा० न्यायालय के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त निजाम उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

निजाम पुत्र ईनाम निवासी 62 फुटा रोड मंसूर कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का01065 अनुजपाल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. रि0का0 1235 रितिक कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।